न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 645 / 2021
अनवान : –

1. शोभना पुत्री कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. धनपत सिंह पुत्र कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. इन्द्रसैन पुत्र कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. जगजीत पुत्र कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 11 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि कमला देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कमला देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज है जो की वादीगण की माता है वादीगण की माता कमला देवी पत्नी बृजलाल का देहान्त हो चुका है कमला देवी पत्नी बृजलाल के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार कमला का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे [illegible] करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादगण संख्या 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षयी कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण कमला देवी पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कमला देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज है जो की वादीगण की माता है वादीगण की माता कमला देवी पत्नी बृजलाल का देहान्त हो चुका है कमला देवी पत्नी बृजलाल के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार कमला का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 11 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि कमला देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कमला देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज है जो की वादीगण की माता है वादीगण की माता कमला देवी पत्नी बृजलाल का देहान्त हो चुका है कमला देवी पत्नी बृजलाल के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार कमला का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा कमला के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार कमला का देहान्त हो चुका है एवं कमला के प्रथम श्रेणी के वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 होने के कारण इनका जन्मजात बहिब हक हिस्सा है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 11 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि कमला देवी

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक कमला पत्नी बृजलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ......18/12/25...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 645/2021

अनवान : –

1. शोभना पुत्री कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. धनपत सिंह पुत्र कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. इन्द्रसैन पुत्र कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. जगजीत पुत्र कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 645 सन 2021 निर्णय दिनांक 18/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 11 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि कमला देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक कमला पत्नी बृजलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....18/12/25..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested